न्यायालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारीः—प्रभजोत सिह गिल (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद : बाबत रास्ता मंजुर करवाने
नम्बर मुकदमा — 19/2023 निर्णय दिनांकः— 7/08/2023

1	तेजभान	पि. रामस्वरूप	जाति जाट सा. ढाणी चक 3 एस.एन.जी. ढाबा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
2	तरसेम कुमार		
3	नरेन्द्र कुमार	पि. रामप्रताप	
4	सुभाष		
5	सुरेन्द्र		
6	कमलवीर	पुत्र बिहारीलाल	
7	मीरादेवी	पत्नी बिहारीलाल	

प्रार्थीगण

बनाम

1 अमर सिह पुत्र नन्दराम | जाति जाट सा. ढाणी चक 3 एस.एन.जी.
2 सतपाल पुत्र अमर सिह | ढाबां तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
3 जगतार सिह पुत्र सरजीत सिह जाति जटसिख सा. ढाणी 3 एस.एन. जी. ढाबां तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
4 सुमनदेवी पुत्री बिहारी लाल जाति जाट सा. ढाणी 3 एस.एन.जी. ढाबां तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
5 तहसीलदार राजस्व संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

अप्रार्थीगण

उपस्थित
श्री नक्षत्र सिह सिद्वू — अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री गुरमीत सिह कलसी — अधिवक्ता अप्रार्थी स. 1 ता 4

निर्णय

उक्त अनुवानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी की तरफ से जरिए वकील उक्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया कि प्रार्थीगण के नाम चक 3 एस.एन.जी. खाता स. 33/7 खाता जगतार सिह वगैरा ज.स. 2072—75 के प.न. 212/155 मु.न. 43 के किला न. 11 ता 25 है।जिनमे आने जाने के लिए कोई मंजुरशुदा रास्ता नही है। व अप्रार्थी स. 1 व 2 के चक 3 एस. एन.जी. खाता स.5/5 खाता अमर सिह वगैरा ज.स. 2072—75 प.न. 212/155 मु.न. 43 किलान. 1/1/.228 1/2/.025 गै.मु.रास्ता 2/1/. 228 2/2/.025 गै.मु.रास्ता 9—10/.253प्र. है0 जो मौका पर अप्रार्थी स. 1 व 2 के कब्जाकाश्त मे है।यदि चक 3 एस.एन.जी. प.न. 212/155 मु.न. 43 किला न. 1/1 व 10 में पत्थर लाईन से चिपता उतर से दक्षीण 2—2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत कर दिया जाता है। तो प्रार्थीगण आसानी से अपने खेत मे आ जा सकते है। इसके अलावा प्रार्थीगण को अपने खेत मे आने जाने हेतु अन्य कोई नजदीकी रास्ता नही है। प्रार्थीगण रास्ता मे आई भुमि के बदले में डी.एल.सी.रेट की दोगुरी राशी अदा करने को तैयार है।बिहारी लाल पुत्र मलूराम फौत हो गया है। जिसके जायज वारीस प्रार्थी स. 6—7

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

व अप्रार्थी स. 4 ही है। इसके अलावा बिहारीलाल का अन्य कोई वारीस नही है।प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से कई दफा निवेदन किया कि वे प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की प्रार्थना पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी में आने जाने हेतू प्रार्थना पत्र की दफा 2 के मुताबिक रास्ता मंजूर करवा देवें तथा प्रार्थीगण उक्त रास्ता की भुमि के बदले में भुमि या मुताबिक डी.एल.सी. रेट दोगुनी राशी देने को तैयार है तो इस पर पहले तो वे टालमटोल करते रहे लेकिन अन्त में पिछले सप्ताह अप्रार्थीगण प्रार्थी के उक्त निवेदन से स्पष्ट इंकारी हो गये। यही विनाय प्रार्थना पत्र है।अतः चक 3 एस.एन.जी. प.न. 212/155 मु.न. 43 किला न. 1/1 व 10 में पत्थर लाईन से चिपता उतर से दक्षीण 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जावे व उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में बतौर गै.मु.रास्ता के रूप में दर्ज की जावे व उक्त रास्ता मौका पर चालू करवाया जावे।प्रार्थीगण उक्त रास्ता की भुमि के बदले भुमि या मुताबिक डी.एल.सी.रेट रास्ता की कृषि भुमि की दोगुना राशि भी भरने को तैयार है।

उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर तथा सीगेदार की रिर्पोट होने के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये ।प्रार्थीगण व अप्रार्थी स. 1, 2 व 4 ने राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी स. 1 अमर सिह तथा अप्रार्थी स. 2 सतपाल के नाम दर्ज चक 3 एस.एन.जी. के खाता स. 5/5 खाता अमर सिह वगैरा ज.स. 2072–75 में दर्ज आराजी मे से प.न. 211/155 मु.न. 42 के किला न. 5/1/.202 है. मे से 0.019 है0 तथा किला न. 6/1/.228 है0 मे से 0.019 है0 यानि 0.038 है0 यानि 3 बिस्वा आराजी उतर से दक्षिण (पत्थर लाईन के साथ साथ चालू खाता से 90 फुट यानि कुल 106 फुट जगह पुर्वी दिशा से छोडकर तथा किला न. 15 से चिपता हुआ इसी किला न. 6 में 12 फुट चौडा तथा 106 फुट लम्बा यानि 0.013 है0 आराजी पुर्व से पश्चिम तथा प.न. 212/155 मु.न. 43 के किला न. 10 मे किला न. 11 के साथ चिपता हुआ दक्षिण पश्चिम कोना में 16 × 16 यानि 272.25 वर्गफुट यानि 0.002 है. इस प्रकार कुल 0.053 है0 आराजी मे रास्ता मंजूर किया जाकर उक्त आराजी का रकबा राजस्व रिकार्ड में बतौर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे तथा उक्त चक के उक्तमे से 0.026 है. हिस्सा अप्रार्थी स. 1 का तथा 0.027 है. हिस्सा अप्रार्थी स. 2 का कम किया जावे तथा चक 3 एस.एन.जी. के खाता स. 33/7 खाता जगतार सिह वगैरा ज.स. 2072–75 में दर्ज आराजी मे से प.न. 211/155 मु.न. 42 के किला न. 16/1/.228 मे से 0.053 है0 आराजी (पुर्व से पश्चिम किला न. 15 से चिपती हुई) तथा किला न. 17/.253 है0 आराजी मे से 0.053 है0 आराजी (पुर्व से पश्चिम किला न. 14 से चिपती हुई.) इस प्रकार कुल 0.106 है. आराजी अप्रार्थी स. 1 व 2 के नाम दर्ज की जावे जिसमे से 0.052 है. आराजी अप्रार्थी स. 1 के नाम तथा 0.054 है0 आराजी अप्रार्थ स 2 के नाम दर्ज की जावे तथा उक्त खाता मे से 0.036 है. हिस्सा अप्रार्थी स. 1 व 2 का ब.हि.ब. तथा 0.035 है. हिस्सा प्रार्थी स. 3 ता 5 का ब.हि.ब. तथा 0.035 है. हिस्सा प्रार्थी स. 6 व 7 तथा अप्रार्थी स. 4 के पिता/पति बिहारीलाल का कम किया जावे।अप्रार्थी स. 3 ने जरिये अधिवक्ता उक्त राजीनामा में अपनी सहमती व्यक्त की।अप्रार्थी स. 3 का जवाब दावा पेश है।जो शामिल मिसल है। अतः ऐसी स्थिती में प्रार्थीगण का उक्त राजिनामा स्वीकार किया जाना उचित है।अतः राजीनामा स्वीकार किया जाता है।

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी संगरिया जिला हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

क्रियात्मक आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी स. 1 अमर सिह तथा अप्रार्थी स. 2 सतपाल के नाम दर्ज चक 3 एस.एन.जी. के खाता स. 5/5 खाता अमर सिह वगैरा ज.स. 2072–75 में दर्ज आराजी मे से प.न. 211/155 मु.न. 42 के किला न. 5/1/.202 है. मे से 0.019 है0 तथा किला न. 6/1/.228 है0 मे से 0.019 है0 यानि 0.038 है0 यानि 3 बिस्वा आराजी उतर से दक्षिण (पत्थर लाईन के साथ साथ चालू खाता से 90 फुट यानि कुल 106 फुट जगह पुर्वी दिशा से छोडकर तथा किला न. 15 से चिपता हुआ इसी किला न. 6 में 12 फुट चौडा तथा 106 फुट लम्बा यानि 0.013 है0 आराजी पुर्व से पश्चिम तथा प.न. 212/155 मु.न. 43 के किला न. 10 मे किला न. 11 के साथ चिपता हुआ दक्षिण पश्चिम कोना में 16 × 16 यानि 272.25 वर्गफुट यानि 0.002 है. इस प्रकार कुल 0.053 है0 आराजी मे रास्ता मंजूर किया जाकर उक्त आराजी का रकबा राजस्व रिकार्ड में बतौर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे तथा उक्त चक के उक्तमे से 0.026 है. हिस्सा अप्रार्थी स. 1 का तथा 0.027 है. हिस्सा अप्रार्थी स. 2 का कम किया जावे तथा चक 3 एस.एन.जी. के खाता स. 33/7 खाता जगतार सिह वगैरा ज.स. 2072–75 में दर्ज आराजी मे से प.न. 211/155 मु.न. 42 के किला न. 16/1/.228 मे से 0.053 है0 आराजी (पुर्व से पश्चिम किला न. 15 से चिपती हुई) तथा किला न. 17/.253 है0 आराजी मे से 0.053 है0 आराजी (पुर्व से पश्चिम किला न. 14 से चिपती हुई.) इस प्रकार कुल 0.106 है. आराजी अप्रार्थी स. 1 व 2 के नाम दर्ज की जावे, जिसमे से 0.052 है. आराजी अप्रार्थी स. 1 के नाम तथा 0.054 है0 आराजी अप्रार्थी स. 2 के नाम दर्ज की जावे तथा उक्त खाता मे से 0.036 है. हिस्सा अप्रार्थी स. 1 व 2 का ब.हि.ब. तथा 0.035 है. हिस्सा प्रार्थी स. 3 ता 5 का ब.हि.ब. तथा 0.035 है. हिस्सा प्रार्थी स. 6 व 7 तथा अप्रार्थी स. 4 के पिता/पति बिहारीलाल का कम किया जावे।

नियमानुसार आदेश जारी हो पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 7/8/23 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(प्रभजोत सिह गिल)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया